

(टिप्पणी एवं आदेश)

शासनादेश संख्या 2231/नौ-2 (12 अधि0)/2001, दिनांक 07 नवम्बर, 2002 (पताका-1) द्वारा उत्तर प्रदेश जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 राज्य में लागू किये जाने से सम्बन्धित अधिसूचना जारी की गयी है।

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के सृजित संरचनात्मक ढाँचे का शासनादेश संख्या 697/XXIX(1)/06-2 (92 अधि0)/2002, दिनांक 12.12.2006 (पताका-2) द्वारा पुनर्गठन करते हुए पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे के गठन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त ढाँचे में उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम में दफ्तरी के वेतनमान रू0 1 एस 4440 + 7440 ग्रेड-पे 1400 (पुराना 2610-60-3150-65-3340) में 37 पद स्वीकृत किये गये हैं।

शासनादेश संख्या 1893(1)/VII-1-11/54-उद्योग/2011, दिनांक 02.01.2011 जो कि प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के संख्या 268/लेखा वेतन निर्धारण/पी-3/18, दिनांक 13.02.2012 (पताका-3) के द्वारा निर्गत किया गया है, के अन्तर्गत वेतन बैण्ड-1-एस0, रू0 4440-7440 तथा ग्रेड वेतन क्रमशः रू0 1300/- रू0 1400/- एवं रू0 1650/- के स्थान पर वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं रू0 1800/- के ग्रेड वेतन में उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 01.01.2006 से काल्पनिक (नोशनल) आधार पर शासनादेश निर्गत होने की तिथि से वास्तविक लाभ देय होगा, की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः दफ्तरी के पद पर वेतनमान रू0 वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 1800/- में पदोन्नति की जानी है **जो कि 'प्रूट' का पद है।**

वर्तमान में विभाग में उत्तर प्रदेश जल निगम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा मोटरकार एवं जीप, ट्रक/ट्रेक्टर ड्राइवरों की सेवा विनियमावली-1980 लागू है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड पेयजल निगम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नई सेवा विनियमावली अभी नहीं बनी है।

विभाग के पुनरीक्षित संरचनात्मक ढाँचे में वर्तमान में दफ्तरी के पद पर 16 दफ्तरी कार्यरत हैं। अतः 21 पद रिक्त है। रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति कर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है।

दफ्तरी के पद पर रिक्तियों की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	विवरण	योग	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0जन जाति
01	स्वीकृत पद	37	28	08	01
02	कार्यरत	16	11	04	01
03	रिक्त	21	17	04	00
04	दिनांक 30.06.2013 तक सेवानिवृत्त होने वाले दफ्तरी का विवरण श्री नारायण सिंह - 31.03.2013 श्री आलम राम - 30.06.2013 श्री हयात सिंह - 31.05.2013 श्री जीत सिंह - 31.01.2013	04	02	01	01
	योग (कुल रिक्त पद)	25	19	05	01

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)/2001, दिनांक 18 जुलाई, 2001 (पताका-4) द्वारा अनुसूचित जाति हेतु 19 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 04 प्रतिशत कुल 23 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित है तथा शासनादेश संख्या 1455/कार्मिक-2/2001, दिनांक 31 अगस्त, 2001 (पताका-5) के द्वारा पदोन्नतियों में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर निर्गत किये जाने का प्राविधान था, किन्तु राज्याधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या

(टिप्पणी एवं आदेश)

902/XXX(2)/2012-55(47)/2004 टी.सी., कार्मिक अनुभाग-2, दिनांक 05.09.2012 (पताका-6) के द्वारा राज्यधीन लोक सेवाओं से सम्बन्धित विभिन्न संगठनात्मक ढाँचों में प्रोन्नति के समस्त पदों/रिक्तियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान किये बिना तथा प्रोन्नति में आरक्षण हेतु शासन द्वारा पूर्व में निर्गत रोस्टर व्यवस्था को लागू किये बिना भरा जाने का प्राविधान किया गया है।

स्वीकृत ढाँचे के अन्तर्गत दफ्तरी के कुल स्वीकृत 37 पदों के सापेक्ष रिक्त 21 पदों एवं दिनांक 30.06.2013 तक सेवानिवृत्त होने वाले 04 रिक्त पदों को जोड़ते हुए कुल 21 + 04 = 25 रिक्त पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जानी है।

नियुक्ति का श्रोत :-

उत्तराखण्ड शासन द्वारा उत्तराखण्ड पेयजल सांसाधन विकास एवं निर्माण निगम के संरचनात्मक ढाँचे के गठन के उपरान्त उपरोक्त कार्मिकों की सेवा के लिए प्रथक सेवा शर्तों का विनियम नहीं हुआ है, चूँकि उत्तराखण्ड पेयजल निगम में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें वही हैं, जो उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्यरत कर्मचारियों की हैं। अतः उत्तर प्रदेश जल निगम में प्रचलित उत्तर प्रदेश जल निगम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा मोटर कार एवं जीप, ट्रक/ट्रेक्टर, ड्राइवरों की सेवाविनियमाली-1980 (पताका-7) के अध्याधीन प्रश्नगत पदोन्नतियों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी है। उक्त सेवाविनियमाली के भाग-6 पदोन्नति, विनियम-20 के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के पदों पर पदोन्नति का आधार अनपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता है तथा विनियम-6 के श्रोत-ख के अन्तर्गत उन चपरासियों में से जिन्होंने 10 साल की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति हेतु विचार किये जाने का प्राविधान है।

उक्तानुसार दफ्तरी के पद पर पदोन्नति हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के निम्नानुसार अभिलेख प्रस्तुत हैं :-

- (क) चतुर्थ श्रेणी से दफ्तरी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची (पताका-8)।
- (ख) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची (पताका-9)
- (ग) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कार्यरत की सूची (पताका-10)
- (घ) दफ्तरी की कार्यरत सूची (पताका-11)

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया :-

उत्तर प्रदेश जल निगम, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा मोटर कार एवं जीप, ट्रक/ट्रेक्टर, ड्राइवरों की सेवाविनियमाली-1980 के विनियम-17 में जल निगम के विभिन्न कार्यालयों के लिए चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों तथा मोटर व जीप/ट्रक/ट्रेक्टर ड्राइवरों के पदों पर भर्ती करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी निम्नानुसार हैं :-

कार्यालय का नाम	नियुक्ति प्राधिकारी	एपीलेन्ट एथारिटी
मुख्यालय, मुख्य अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय	अधिशारी अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता (प्र0/नि0) के वैयक्तिक सहायक	मुख्य अभियन्ता (प्र0नि0)
मण्डल कार्यालय	अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अधिकृत अधिशारी अभियन्ता	सम्बन्धित क्षेत्रीय व मुख्य अभियन्ता/अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता
शाखा कार्यालय	अधिशारी अभियन्ता	अधीक्षण अभियन्ता

(टिप्पणी एवं आदेश)

- 3 -

उपरोक्त दी प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी अधिशासी अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता (प्र०/नि०) के वैयक्तिक सहायक के रूप में वर्तमान में विभाग में अधिशासी अभियन्ता (कार्मिक) के द्वारा सहायक अभियन्ता से नीचे स्तर के कार्मिकों के अधिष्ठान सेवा सम्बन्धी कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकृत हैं। अतः उक्त प्रकरण पर उचित माध्यम से उच्च स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

मापदण्ड :-

विभाग में वर्तमान में लागू सेवानियमावली के अनुसार कर्मचारियों की पदोन्नतियाँ ज्येष्ठता के आधार पर की जाती रहीं हैं। कार्मिक अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 479/XXX(2)2009, दिनांक 08.07.2009 (पताका-12) में उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में "अनुपयुक्त को छोड़ते हुए 'ज्येष्ठता' एवं 'श्रेष्ठता' के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली-2009" को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रख्यापित किया गया है, जिसे प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के पृष्ठांकन संख्या 2468/उत्तराखण्ड शासन/ दिनांक 21.07.2009 द्वारा क्षेत्रों को प्रसारित किया गया है। उक्त शासनादेश के पृष्ठ संख्या-2 में स्पष्टीकरण के अन्तर्गत उल्लेखित है कि "इस नियम की कोई बात समूह 'घ' के कार्मिकों की समूह 'ग' के पदों पर भर्ती/पदोन्नति के मामले पर लागू नहीं होगी। समूह 'घ' से समूह 'ग' के पदों पर भर्ती/पदोन्नति अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2008 में निहित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।"

कार्य व्यवहार एवं आचरण से सम्बन्धित विवरण :-

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से दफ्तरी के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों व्यवहार एवं आचरण तथा गोपनीय प्रतिवेदन से सम्बन्धित विवरण (पताका-13) एवं शिकायत अनुभाग से प्राप्त अनुशासनिक/प्रशासनिक जाँच प्रचलित होने अथवा न होने से सम्बन्धी सूचना (पताका-14) में संलग्न है।

अतः उपरोक्त दी गयी प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से दफ्तरी के 25 रिक्त पदों पर पदोन्नति सम्बन्धी कार्यवाही की जानी है। अतः कुल रिक्तियों का डेढ़ गुना कुल 38 पात्र कार्मिकों का विवरण निम्नानुसार है :-

वरिष्ठता क्रम में पात्र कार्मिकों का विवरण :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम (सर्व श्री)	विभाग में नियुक्ति की तिथि	वर्तमान कार्यालय का नाम
01	02	03	04	05
01	श्री विशान सिंह	श्री हरी सिंह	24-01-1973	यॉत्रिक मं० हल्द्वानी
02	श्री कुवर सिंह	श्री सोबन सिंह	07-03-1973	निर्माण शा० भिकियासेन
03	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री चन्द्रन सिंह	26-04-1974	निर्माण शा० पौड़ी
04	श्री विजय पाल सिंह	श्री गंगा सिंह	09-05-1975	नि० एवं अनु० ई० गंगा उत्तरकाशी
05	श्री श्याम लाल	श्री टूनीराम	08-08-1975	यॉत्रिक शा० कोटद्वार
06	श्री उम्मेद सिंह मेहता	श्री नर सिंह मेहता	25-03-1977	यॉत्रिक शा० अल्मोड़ा
07	श्री शान्ति प्रसाद	श्री शंकरलाल	14-06-1977	प्रधान कार्यालय दे० दून
08	श्री रमेश चन्द्र जोशी	श्री डी० डी० जोशी	01-07-1977	निर्माण शा० पिथौरागढ़
09	श्री मोहन सिंह	कल्याण सिंह	04-08-1977	निर्माण शा० बागेश्वर

(टिप्पणी एवं आदेश)

01	02	03	04	05
10	श्री शिव प्रसाद	श्री बरसाती लाल	19-08-1977	दून शाखा, देहरादून
11	श्री उमेद सिंह चौहान	श्री गोपाल सिंह	01-09-1977	निर्माण शा0 रामनगर
12	श्री बहादुर सिंह	श्री राम सिंह	12-09-1977	प्रधान कार्यालय दे0दून
13	श्री जगत सिंह विष्ट	श्री शेर सिंह	05-11-1977	निर्माण शा0 पिथौरागढ़
14	श्री बिशन राम	श्री त्रिलोक राम	12-12-1977	निर्माण मण्डल अल्मोड़ा
15	श्री कैलाश राम	परराम	15-12-1977	निर्माण शा0, पिथौरागढ़
16	श्री धर्म सिंह मसीह	स्व दौलत सिंह मसीह	19-12-1977	निर्माण शा0 अल्मोड़ा
17	श्री शेर सिंह मनराल	श्री भवान सिंह मनराल	22-12-1977	निर्माण शा0 रामनगर
18	श्री चन्द्र दत्त जोशी	श्री गोपाल दत्त जोशी	02-03-1978	निर्माण मण्डल अल्मोड़ा
19	श्री आदित्यराम गैरोला	श्री तोताराम	17-04-1978	निर्माण इकाई गोपेश्वर
20	श्री लाल बहादुर	श्री पूरण बहादुर	01-05-1978	प्रधान कार्यालय दे0दून
21	श्री कमलेश्वर प्रसाद कोठारी	स्व0 श्री नागदत्त कोठारी	05-07-1978	निर्माण मण्डल दे0दून
22	श्री गुसाई सिंह	स्व श्री चनर सिंह	20-07-1978	निर्माण शा0 नैनीताल
23	श्री विष्णु दत्त जोशी	श्री दुर्गा दत्त जोशी	30-09-1978	निर्माण शा0 लोहाघाट
24	श्री नारायण सिंह धामी	श्री भीम सिंह धामी	09-11-1978	निर्माण शा0 डीडीहाट
25	श्री हीरा सिंह चन्पाल	श्री जोगा राम	20-12-1970	निर्माण शा0 डीडीहाट
26	श्री दल बहादुर	श्री मोती लाल	12-01-1979	नि0शा0 चम्पावत
27	श्री केशर राम	स्व श्री बलराम	01-03-1979	निर्माण शा0 भिकियासेन
28	श्री गोविन्द सिंह	श्री प्रभु राम	19-03-1979	यॉत्रिक मण्डल दे0दून
29	श्री दर्शन सिंह राणा	श्री नारायण सिंह राणा	31-05-1979	निर्माण शा0 उधमसिंहनगर
30	श्री एस0एस0 नेगी	श्री अमर सिंह	17-08-1979	निर्माण शा0, रुद्रप्रयाग
31	श्री श्याम लाल	स्व श्री अंगरू लाल	12-11-1979	यॉत्रिक मण्डल दे0दून
32	श्री नन्द किशोर कापड़ी	श्री विष्णु दत्त कापड़ी	06-12-1979	निर्माण शा0 पिथौरागढ़
33	श्री नारायण सिंह	स्व श्री मान सिंह	11-01-1980	निर्माण शा0 काशीपुर
34	श्री सन्तोष कुमार	श्री वंशराज पाण्डे	12-12-1980	निर्माण शा0 काशीपुर
35	श्री सुन्दर सिंह	श्री वीर बहादुर सिंह	28-02-1980	निर्माण मण्डल दे0दून
36	श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	बच्ची सिंह नेगी	06-03-1980	निर्माण शा0 नैनीताल
37	श्री भोलादत्त पुरोहित	श्री मित्रानन्द पुरोहित	01-06-1980	गं0प्र0नि0ई0 श्रीनगर
38	श्री सूरत सिंह	श्री केदार सिंह	01-02-1980	निर्माण शा0 उत्तरकाशी

वरिष्ठता क्रम में दफ्तरी के पद पर पदोन्नति हेतु संस्तुत अभ्यर्थियों की सूची-

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम (सर्व श्री)	विभाग में नियुक्ति की तिथि	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम
01	02	03	04	05
01	श्री बिशन सिंह	श्री हरी सिंह	24-01-1973	यॉत्रिक मं0 हल्द्वानी
02	श्री कुवर सिंह	श्री सोबन सिंह	07-03-1973	निर्माण शा0 भिकियासेन
03	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री चन्द्रन सिंह	26-04-1974	निर्माण शा0 पौड़ी
04	श्री बिजय पाल सिंह	श्री गंगा सिंह	09-05-1975	नि0एवं अनु0ई0गंगा उत्तरकाशी

(टिप्पणी एवं आदेश)

- 3 -

01	02	03	04	05
05	श्री श्याम लाल	श्री टूनीराम	08-08-1975	यॉत्रिक शा0 कोटद्वार
06	श्री उम्मेद सिंह मेहता	श्री नर सिंह मेहता	25-03-1977	यॉत्रिक शा0 अल्मोड़ा
07	श्री शान्ति प्रसाद	श्री शंकरलाल	14-06-1977	प्रधान कार्यालय दे0दून
08	श्री रमेश चन्द्र जोशी	श्री डी0डी0 जोशी	01-07-1977	निर्माण शा0 पिथौरागढ़
09	श्री मोहन सिंह	कल्याण सिंह	04-08-1977	निर्माण शा0 बागेश्वर
10	श्री शिव प्रसाद	श्री बरसाती लाल	19-08-1977	दून शाखा, देहरादून
11	श्री उमेद सिंह चौहान	श्री गोपाल सिंह	01-09-1977	निर्माण शा0 रामनगर
12	श्री बहादुर सिंह	श्री राम सिंह	12-09-1977	प्रधान कार्यालय दे0दून
13	श्री जगत सिंह विष्ट	श्री शेर सिंह	05-11-1977	निर्माण शा0 पिथौरागढ़
14	श्री बिशन राम	श्री त्रिलोक राम	12-12-1977	निर्माण मण्डल अल्मोड़ा
15	श्री कैलाश राम	परराम	15-12-1977	निर्माण शा0, पिथौरागढ़
16	श्री धर्म सिंह मसीह	स्व दौलत सिंह मसीह	19-12-1977	निर्माण शा0 अल्मोड़ा
17	श्री शेर सिंह मनराल	श्री भवान सिंह मनराल	22-12-1977	निर्माण शा0 रामनगर
18	श्री चन्द्र दत्त जोशी	श्री गोपाल दत्त जोशी	02-03-1978	निर्माण मण्डल अल्मोड़ा
19	श्री आदित्यराम गैरोला	श्री तोताराम	17-04-1978	निर्माण इकाई गोपेश्वर
20	श्री लाल बहादुर	श्री पूरण बहादुर	01-05-1978	प्रधान कार्यालय दे0दून
21	श्री कमलेश्वर प्रसाद कोठारी	स्व0 श्री नागदत्त कोठारी	05-07-1978	निर्माण मण्डल दे0दून

दफ्तरियों के दिनांक 30.06.2013 तक सेवानिवृत्त होने वाले 04 पदों के विरुद्ध पदोन्नति की जानी है। वरिष्ठता क्रम में पदोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची-

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम (सर्व श्री)	विभाग में नियुक्ति की तिथि	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम
01	02	03	04	05
01	श्री गुसाई सिंह	स्व श्री चनर सिंह	20-07-1978	निर्माण शा0 नैनीताल
02	श्री विष्णु दत्त जोशी	श्री दुर्गा दत्त जोशी	30-09-1978	निर्माण शा0 लोहाघाट
03	श्री नारायण सिंह धामी	श्री भीम सिंह धामी	09-11-1978	निर्माण शा0 डी0
04	श्री हीरा सिंह. चन्पाल	श्री जोगा राम	20-12-1970	निर्माण शा0 डी0

यहाँ यह भी अवगत कराना है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एक अल्प वेतन भोगी कार्मिक है तथा अधिकांश कार्मिक सेवानिवृत्ति के समीप हैं, इन्हें पदोन्नति के उपरान्त अन्यत्र स्थानान्तरित/तैनात किये जाने पर उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तथा विभाग को यात्रा भत्ता मद में कोई व्ययभार भी वहन नहीं करना होगा। सामान्यतः चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं दफ्तरी के कार्यों में भी एकरूपता है।

-6-

(टिप्पणी एवं आदेश)

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कार्य एवं निगम हित में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से दफ्तरी के पद पर पदोन्नति होने वाले कार्मिकों की तैनाती वर्तमान में जिस कार्यालय/जनपद में वे कार्यरत हैं, उसी कार्यालय/जनपद में स्थापित पदों पर यथा सम्भव की जानी समीचीन होगी।

अतः उपरोक्तानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से दफ्तरी के पद पर पदोन्नति सम्बन्धी प्रस्ताव संस्तुति सहित आपके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया उक्त का अनुमोदन करना चाहेंगे। अनुमोदन की दशा में पदोन्नति सम्बन्धी आदेश का प्रारूप पत्रावली के दाहिनी ओर रखा गया है। कृपया अवलोकन करना चाहेंगे।

7/1/13
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रस्ताव अनुमोदित
7/1/13
CB (M)

P.O.
7/1/13

अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक महोदय

(टिप्पणी एवं आदेश)

→

1. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 479/XXX(2)/2009-3(1)/2007, दिनांक 08.07.2009 के द्वारा उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को स्वीकार करते हुए ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनाई जानी वाली प्रक्रिया नियमावली-2009 पदस्थापित है।

उक्त नियमावली के ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु चयन की प्रक्रिया के विनियम-3 के बिन्दु 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 के क्रम में स्पष्टीकरण-“इस नियम की कोई बात समूह 'घ' के कार्मिकों की समूह 'ग' के पदों पर भर्ती/प्रोन्नति के मामलों पर लागू नहीं होगी। समूह 'घ' से समूह 'ग' के पदों पर भर्ती/प्रोन्नति अधिनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली-2008 में निहित व्यवस्था के अनुसार की जायेगी।” का उल्लेख किया गया है।

2. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अन्तर्गत दफ्तरी का पदोन्नति पद चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत ही है। अतः क्रमांक-01 में उल्लेखित सेवा विनियमावली के अनुसार इनके 10 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदनों की उपलब्धता नहीं है। फिर भी इनके कार्य एवं व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर विगत 05 वर्षों के कार्य एवं व्यवहार की प्रविष्टि का उल्लेख का विवरण पदोन्नति हेतु लिया गया है।

3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है तथा इन्हें जनपद के अन्तर्गत ही तैनाती किये जाने के प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें कार्यरत उसी शाखा/मण्डल कार्यालय में दफ्तरी के पद पर पदोन्नति उपरान्त तैनाती प्रस्तावित की गयी है। वर्तमान में कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी की कमी/आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए दो-दो दफ्तरी कार्यरत है। दफ्तरी के कार्य भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कार्य के अन्तर्गत ही आते हैं। पूर्व में भी इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए चपरासी के पद से दफ्तरी के पद पर पदोन्नतियाँ की गयी है। स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यहित में जहाँ पर दफ्तरी का पद स्वीकृत नहीं है, किन्तु दफ्तरी/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की आवश्यकता है, पदोन्नति उपरान्त तैनाती की जानी समीचीन होगी, जिस हेतु यात्रा मद में भी निगम की बचत होगी। इस हेतु पुनः परीक्षाओं परान्त संशोधित पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय ज्ञाप पत्रावली के दाहिनी ओर रखा गया है। कृपया अवलोकन करना चाहें।

कृपया उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करना चाहेंगे।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)


19/1/13

14/1/13
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)
19/1/13

जो तैनाती के पत्र के द्वय लोकेत करना चाहें।
19/1/13

प्रमुख निदेशक पदो

अवलोकित



कार्यालय : 2678078
: 2672404

फैक्स 0135-2672337
ई-मेल upsvnn@gmail.com

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

प्रधान कार्यालय : 11-मोहिनी रोड, देहरादून

पत्रांक 267 / अधि0अनु0 - अधि0 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी / 05 दिनांक 21 / 01 / 13

// कार्यालय-ज्ञाप //

एतद् द्वारा निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति दफ्तरी के पद पर वेतनमान रू0 वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 ग्रेड वेतन रू0 1800/- में करते हुए उनके नाम के समक्ष अंकित कार्यालय में तैनाती तत्काल प्रभाव से की जाती है :-

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम (सर्व श्री)	पिता/पति का नाम (सर्व श्री)	वर्तमान में कार्यरत कार्यालय का नाम	पदोन्नति उपरान्त तैनाती कार्यालय का नाम	टिप्पणी
01	02	03	05	06	07
01	श्री बिशन सिंह	श्री हरी सिंह	यॉत्रिक मण्डल, हल्द्वानी	यॉत्रिक मण्डल, हल्द्वानी	स्थानीय
02	श्री कुवर सिंह	श्री सोबन सिंह	निर्माण शाखा, भिकियासेन	निर्माण शाखा, भिकियासेन	स्थानीय
03	श्री राजेन्द्र सिंह	श्री चन्द्रन सिंह	निर्माण शाखा, पौड़ी	निर्माण शाखा, पौड़ी	स्थानीय
04	श्री विजय पाल सिंह	श्री गंगा सिंह	नि0एवं अनु0ई0 (गंगा) उत्तरकाशी	नि0एवं अनु0ई0 (गंगा) उत्तरकाशी	स्थानीय
05	श्री श्याम लाल	श्री टूनीराम	यॉत्रिक शाखा, कोटद्वार	यॉत्रिक शाखा, कोटद्वार	स्थानीय
06	श्री उम्मेद सिंह मेहता	श्री नर सिंह मेहता	यॉत्रिक शाखा, अल्मोड़ा	यॉत्रिक शाखा, अल्मोड़ा	स्थानीय
07	श्री शान्ति प्रसाद	श्री शंकरलाल	प्रधान कार्यालय, देहरादून	प्रधान कार्यालय, देहरादून	स्थानीय
08	श्री रमेश चन्द्र जोशी	श्री डी0डी0 जोशी	निर्माण शाखा, पिथौरागढ़	निर्माण शाखा, पिथौरागढ़	स्थानीय
09	श्री मोहन सिंह	श्री कल्याण सिंह	निर्माण शाखा, बागेश्वर	निर्माण इकाई, बागेश्वर	स्थानीय
10	श्री शिव प्रसाद	श्री बरसाती लाल	दून शाखा, देहरादून	देहरादून शाखा, देहरादून	स्थानीय
11	श्री उम्मेद सिंह चौहान	श्री गोपाल सिंह	निर्माण शाखा, रामनगर	निर्माण शाखा, रामनगर	स्थानीय
12	श्री बहादुर सिंह	श्री राम सिंह	प्रधान कार्यालय, देहरादून	प्रधान कार्यालय, देहरादून	स्थानीय
13	श्री जगत सिंह बिष्ट	श्री शेर सिंह	निर्माण शाखा, पिथौरागढ़	निर्माण मण्डल, पिथौरागढ़	स्थानीय
14	श्री बिशन राम	श्री त्रिलोक राम	निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा	द्वि0नि0 शाखा, अल्मोड़ा	स्थानीय
15	श्री कैलाश राम	श्री परराम	निर्माण शाखा, पिथौरागढ़	निर्माण शाखा, पिथौरागढ़	स्थानीय
16	श्री धर्म सिंह मसीह	स्व0 दौलत सिंह मसीह	निर्माण शाखा, अल्मोड़ा	निर्माण शाखा, अल्मोड़ा	स्थानीय
17	श्री शेर सिंह मनराल	श्री भवान सिंह मनराल	निर्माण शाखा, रामनगर	निर्माण इकाई, रामनगर	स्थानीय
18	श्री चन्द्र दत्त जोशी	श्री गोपाल दत्त जोशी	निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा	निर्माण मण्डल, अल्मोड़ा	स्थानीय
19	श्री आदित्यराम गैरोला	श्री तोताराम	निर्माण इकाई, गोपेश्वर	निर्माण इकाई, गोपेश्वर	स्थानीय
20	श्री लाल बहादुर	श्री पूरण बहादुर	प्रधान कार्यालय, देहरादून	प्रधान कार्यालय, देहरादून	स्थानीय
21	श्री कमलेश्वर प्रसाद कोठारी	स्व0 श्री नागदत्त कोठारी	निर्माण मण्डल, देहरादून	निर्माण मण्डल, देहरादून	स्थानीय


क्रमशः.....2

“जल संचय-जीवन संचय” “कृपया जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।”

वैधानिक चेतावनी - जल स्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।


उक्त पदोन्नत कार्मिकों को अपने तैनाती कार्यालय पर दिनांक 28.01.2013 तक प्रत्येक दशा में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह समझा जायेगा कि वे पदोन्नति के इच्छुक नहीं हैं। उक्त दिनांक के पश्चात पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे, जिसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

उपरोक्त कार्मिकों की पदोन्नति/तैनाती स्थानीय होने के कारण इन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं कार्यभार ग्रहणकाल देय नहीं होगा।


(प्रेम सिंह)
महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव :-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. वैयक्तिक अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक/वित्त निदेशक/मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
 2. मुख्य महाप्रबन्धक, निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
 3. मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायूँ), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी/नैनीताल।
 4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
 5. समस्त अधिशासी अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम।
 6. अधिष्ठान अनुभाग, प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
 7. गार्ड फाईल।


महाप्रबन्धक (भूजल/सर्वेक्षण)